मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

क्रम संख्या	योजना / कार्यक्रम एवं सेवाएँ	योजना / कार्यक्रम एवं सेवाएँ के तहत दी जाने वाली लाभ	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता है|	स्वीकृति प्रदान करने वाले पदाधिकारी
1	क्षेत्रीय निबंधन कार्यालयों में निबंधित दस्तावेजों में हुई राजस्व क्षति से संबंधित मामले	इस प्रकार के मामलों में कम मुद्रांक/निबंधन शुल्क लिए जाने संबंधी आपत्तियाँ अंकित रहती है	कमी मुद्रांक/निबंधन शुल्क का वसूली में अत्यधिक कठिनाई होता है और इस वसूली में काफी समय भी लग जाता है इस प्रकार इससे सरकारी राजस्व की क्षति होती है	उक्त सरकारी राजस्व का क्षति को रोकने का पूर्ण दायित्व जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक पर है	निबंधित किए जाने वाले विलेखों की जाँच आप स्वयं सावधानीपूर्वक और निर्धारित मुद्रांक/निबंधन शुल्क लेने के पश्चात हीं निबंधन हेतु स्वीकार करना है इसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक पर होगा	अगर किसी मामले में कम मुद्रांक/निबंधन शुल्क लेकर निबंधन किया जाता है, तो मुद्रांक/निबंधन शुल्क का वसूली संबंधित पदाधिकारी से की जाएगी		सरकार को लाभ होगा यदि राजस्व क्षति शुल्क की वसूली कर ली जाए तो		सहायक निबंधन महानिरीक्षक / जिला अवर निबंधक/ अवर निबंधक
2	संस्थाओं/फर्म से संबंधित मामले	(1) किसी भी संस्था या सोसाईटी का निबंधन हेतु online apply किया जा सकता है	**अपने संस्था का निबंधन कराने हेतु विभागीय वेबसाईट www.nibandhan.bihar.gov.in पर अपने संस्था का अपेक्षित कागजातों के साथ ऑनलाइन प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए निर्धारित शुल्क (बिहार में 15000/- एवं संपूर्ण भारतवर्ष के लिए 25000/-) का ऑनलाइन भुगतान करते हुए निबंधन हेतु आवेदन कर सकते हैं	** (2) किसी भी संस्था के प्रमाण पत्र, नियमावली एवं स्मृतिपत्र की छायाप्रति हेतु प्रति कागज 500/- रु0 का सत्यापित चालान यदि तीनों चाहिए तो 1500/- रु0 का सत्यापित चालान 300/- रु0 का non judicial stamp एवं 52/- रु0 का टिकट लगा लिफाफा सहित लोक सेवाओं के अंतर्गत आवेदन कर सकते है	 (3) किसी भी संस्था के नाम परिवर्तन कार्यकारिणी परिवर्तन एवं स्थान परिवर्तन एवं नियमावली संशोधन हेतु संशोधन शुल्क 15000/- रु0 का सत्यापित चालान संलग्न कर विहित कागजात के साथ आवेदन कर सकते है		कोई भी आम व्यक्ति जिसे संस्था या सोसाईटी का निबंधन कराना हो या संस्था के नाम परिवर्तन, कार्यकारिणी परिवर्तन एवं स्थान परिवर्तन एवं नियमावली संशोधन करवाना हो		सहायक निबंधन महानिरीक्षक
3	MVR से संबंधित मामले	बिहार राज्य में किसी भी स्थान पर संपत्ति खरीदने से पहले उस क्षेत्र की सर्कल रेट के बारे में जानकारी होना आवश्यक है	सरकारी जमीन के मिनिमम वैल्यू रेट (MVR) में बढ़ोतरी कर सकती है	इसका सीधा असर रेजिस्ट्री की कीमत पर पड़ेगा	जब भी कोई खरीददार किसी प्रोपर्टी को खरीदता है, तो उसको उस जमीन या प्रोपर्टी को अपने नाम पर करने के लिए रजिस्ट्री करवानी होती		कोई भी आम व्यक्ति		सहायक निबंधन महानिरीक्षक / संबंधित जिला अवर निबंधक

		हैं. और रजिस्ट्री करवाते समय जो शुल्क सरकार को रजिस्ट्री फी और स्टाम्प ड्यूटी के रूप में देनी पड़ती हैं | इस शुल्क की गणना MVR (Minimum Value Register) के अधार पर ही की जाती है | इसको जमीन या प्रोपर्टी का सर्किल रेट भी कहा जाता हैं | MVR Rate समाहर्ता की अध्यक्षता में जिला मूल्यांकन समिति द्वारा निर्धारित किया जाता हैं. जो एक ही एरिया में अलग – अलग क्षेणी के हो सकते है | सर्किल रेट का निर्धारण जमीन या प्रोपर्टी के विभिन्न प्रकार एवं वहां की सुविधा पर निर्भर करता हैं. जैसे – Commerical N.H, Do Fasla, Residentaial Gramin Road, Ek Fasla Commercial, Commerical Gramin Road, Residential, Diyar, Dhanhar इत्यादि.		
4	विशेष विवाह निबंधन से संबंधित मामले।	विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 3 के अधीन संबंधित जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक अपने क्षेत्राधिकार के अधीन निवास करने वाले ऐसे जोड़े का विवाह पदाधिकारी होता है जिसमें से कोई एक उसके क्षेत्राधिकार में निवास करता हो। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि जिला अवर निबंधक अपने अधीनस्थ किसी अवर निबंधक के क्षेत्राधिकार में निवास करने वाले शादी के पक्षकारों के शादी का प्रतिष्ठापन / निबंधन नहीं कर सकते हैं अपितु ऐसे पक्षकारों की शादी का निबंधन संबंधित अवर निबंधक के द्वारा ही किया जा सकता है क्योंकि विशेष विवाह अधिनियमए 1954 के प्रावधानों के अधीन जिला अवर निबंधक तथा अवर निबंधक अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्वतंत्र रूप से विवाह पदाधिकारी हैं तथा जिला अवर निबंधक अपने जिला में कार्यरत अवर निबंधक-सह-विशेष विवाह पदाधिकारी के नियंत्री पदाधिकारी नहीं होते हैं। जिला अवर निबंधक के स्थान पर नियंत्री पदाधिकारी विवाह के मामले में जिला जज होते हैं । इसके अतिरिक्त दस्तावेजों के निबंधन के समान शादी के प्रतिष्ठापन / निबंधन में आई फीस का कोई प्रावधान नहीं है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अधीन दो व्यस्क व्यक्तियों पुरूष एवं स्त्री - जो प्रतिबंधित रिश्तेदारी के अधीन नहीं आते है के बीच बिना धर्म, जाति के विभेद किए शादी किया जा सकता है। यह अधिनियम 1 जनवरी 1955 को प्रवृत्त हुआ। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर प्रान्त को छोड़कर शेष सम्पूर्ण भारत वर्ष में लागू है। यह अधिनियम एक सिविल विधि है, जो भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है। विवाह व्यक्ति के जीवन का एक महत्त्वपूर्ण संस्कार है। वस्तुतः हमारे सभ्य समाज का शादी आधारशिला है। समाज तथा राज्य इसके स्थायित्व के हित में है। विशेष विवाह अधिनियम का सिद्धान्त इसी तथ्य पर आधारित है।	कोई भी दो व्यस्क व्यक्ति पुरूष एवं स्त्री - जो प्रतिबंधित रिश्तेदारी के अधीन नहीं आते है के बीच बिना धर्म, जाति के विभेद किए शादी किया जा सकता है। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर प्रान्त को छोड़कर शेष सम्पूर्ण भारत वर्ष में लागू है। यह अधिनियम एक सिविल विधि है, जो भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है।	सहायक निबंधन महानिरीक्षक जिला अवर निबंधक / संयुक्त अवर निबंधक
5	अवैध शराब का विनिर्माण एवं	यदि कोई व्यक्ति शराब बेचता है या पीता है या बनाता है तो कोई भी आम	राज्य के नागरिकों की स्वास्थ्य रक्षा	सहायक आयुक्त उत्पाद /

	बिक्री पर रोकथाम से संबंधित मामले	व्यक्ति उस व्यक्ति पर कार्रवाई के लिए आवेदन दे सकते है | राज्य के नागरिकों की स्वास्थ्य रक्षा और उनके आर्थिक ,शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान के प्रति सतत् प्रयत्नशील रहना राज्य सरकार का दायित्व है |इसी दायित्व की पूर्ति हेतु नई उत्पाद निति ,2015 के तहत 05 अप्रैल ,2016 से राज्य के अंतर्गत शराब का निर्माण ,संचालन, बिक्री और उपभोग को प्रतिबंधित किया गया है |बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 एवं बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 के दण्ड प्रावधान सभी पर सामान्य रूप से लागू है | ऊँच-नीच और गरीब-अमीर में कोई भेदभाव किए बिना दण्ड प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जा रहा है मद्य निषेध निति के सफल कार्यान्वयन हेतु लगातार सघन छापेमारी की जा रही है तथा मध् निषेध के सूचना केंद्र के टॉल फ्री दूरभाष संख्या-15545 एवं 18003456268 पर अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों की सूचना देने हेतु प्रचार प्रसार किया जा रहा है |सूचना उपलब्ध होने के उपरांत पुलिस/ मद्य निषेध पदाधिकारियों द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाती है |	और उनके आर्थिक ,शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान हेतु |	अधीक्षक उत्पाद
6	अवैध शराब की बिक्री से संबंधित मामले।	यदि कोई व्यक्ति शराब बेचता है या पीता है या बनाता है तो कोई भी आम व्यक्ति उस व्यक्ति पर कार्रवाई के लिए आवेदन दे सकते है | राज्य के नागरिकों की स्वास्थ्य रक्षा और उनके आर्थिक ,शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान के प्रति सतत् प्रयत्नशील रहना राज्य सरकार का दायित्व है |इसी दायित्व की पूर्ति हेतु नई उत्पाद निति ,2015 के तहत 05 अप्रैल ,2016 से राज्य के अंतर्गत शराब का निर्माण ,संचालन, बिक्री और उपभोग को प्रतिबंधित किया गया है |बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 एवं बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 के दण्ड प्रावधान सभी पर सामान्य रूप से लागू है | ऊँच-नीच और गरीब-अमीर में कोई भेदभाव किए बिना दण्ड प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जा रहा है मद्य निषेध निति के सफल कार्यान्वयन हेतु लगातार सघन छापेमारी की जा रही है तथा मध् निषेध के सूचना केंद्र के टॉल फ्री दूरभाष संख्या-15545 एवं 18003456268 पर अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों की सूचना देने हेतु प्रचार प्रसार किया जा रहा है |सूचना उपलब्ध होने के उपरांत पुलिस/ मद्य निषेध पदाधिकारियों द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाती है |	राज्य के नागरिकों की स्वास्थ्य रक्षा और उनके आर्थिक ,शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान हेतु |	सहायक आयुक्त उत्पाद / अधीक्षक उत्पाद
7	आसवन गृह से संबंधित मामले	छोआ एवं ग्रेन आधारित परिवाद इसमे किया जा सकता है | इसके लिए लाइसेन्स लिया जाता है जो अब GST सुरू होने के बाद से नहीं मिलता है | विभाग आसवन गृहों के कार्यों का रेगुलेट करता है |	कोई कंपनी या सप्लायर को जिसे drug controller से लाइसेन्स प्राप्त हो |	उपायुक्त उत्पाद (आ0 भा0)
8	M&TP Act एवं इथेनॉल से संबंधित मामले	मिथिलेटेड स्प्रीट, ईथनॉल एवं एसीड अल्कोहल जैसी रसायन सरकारी अथवा गैर सरकारी एजेंसी द्वारा लाइसेन्स देकर जाँच घरों में उपलब्ध कराया जाता है | नई उत्पाद नीति 2015 के प्रावधान के अनुसार राज्य	कोई कंपनी या सप्लायर को जिसे drug controller से लाइसेन्स प्राप्त हो |	सहायक आयुक्त उत्पाद (मु0)

		में स्थापित आसवनियों से सिर्फ ईथनॉल एवं सिर्फ ई0एन0ए0 का उत्पादन हो रहा है संशोधन सुषभ का उत्पादन प्रतिबंधित है। ई0एन0ए0 एवं अल्कोहल से दवाइयाँ बनाई जाती है। इस एक्ट में अलॉट्मेंट के लिए आवेदन कर सकते है। M&TP 2015 से पहले के लाइसेंसधारी को ही आवंटन दिया जाता है । 2016 के बाद नया लाइसेन्स नहीं दिया गया है और न ही देना है। केवल पुराने लाइसेंसधारी को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में ही आवंटन दिया जा रहा है।		
9	अवैध शराब का विनिर्माण, बिक्री, रखना एवं उपभोग पर रोकथाम से संबंधित मामले	यदि कोई व्यक्ति शराब बेचता है या पीता है या बनाता है तो कोई भी आम व्यक्ति उस व्यक्ति पर कार्रवाई के लिए आवेदन दे सकते है। राज्य के नागरिकों की स्वास्थ्य रक्षा और उनके आर्थिक ,शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान के प्रति सतत् प्रयत्नशील रहना राज्य सरकार का दायित्व है ।इसी दायित्व की पूर्ति हेतु नई उत्पाद निति ,2015 के तहत 05 अप्रैल ,2016 से राज्य के अंतर्गत शराब का निर्माण ,संचालन, बिक्री और उपभोग को प्रतिबंधित किया गया है ।बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 एवं बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 के दण्ड प्रावधान सभी पर सामान्य रूप से लागू है। ऊँच-नीच और गरीब-अमीर में कोई भेदभाव किए बिना दण्ड प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जा रहा है मद्य निषेध निति के सफल कार्यान्वयन हेतु लगातार सघन छापेमारी की जा रही है तथा मध् निषेध के सूचना केंद्र के टॉल फ्री दूरभाष संख्या-15545 एवं 18003456268 पर अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों की सूचना देने हेतु प्रचार प्रसार किया जा रहा है ।सूचना उपलब्ध होने के उपरांत पुलिस/ मद्य निषेध पदाधिकारियों द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाती है।	कोई भी आम व्यक्ति द्वारा मध् निषेध के सूचना केंद्र के टॉल फ्री दूरभाष संख्या-15545 एवं 18003456268 पर सूचना दिया जा सकता है। राज्य के नागरिकों की स्वास्थ्य रक्षा और उनके आर्थिक , शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान हेतु लाभप्रद है।	सहायक आयुक्त उत्पाद / अधीक्षक उत्पाद
10	NDPS Act के अंतर्गत उत्पाद वस्तु यथा अफीम, चरस, हेरोईन, गांजा एवं अन्य मिलावटी पदार्थ जिससे नशा हो इत्यादि का भी विनिर्माण, बिक्री, रखना एवं उपभोग पर रोक से संबंधित मामले	मध् निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को सम्पूर्ण बिहार राज्य में NDPS ACT की धारा 27(b) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। अफीम, चरस, हेरोइन, गांजा का उपभोग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश निर्गत है । NDPS Act 1985 एवं मध् निषेध ,उत्पाद अधिनियम ,2016 के तहत सतत एवं संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जा रही है। जिस पर उत्पाद विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है।	कोई भी आम व्यक्ति	यथा स्थिति संबन्धित जिले के सहायक आयुक्त उत्पाद
11	मुद्रांकों की बिक्री से संबंधित मामले	बिहार स्टाम्प (संशोधन) नियमावली 2008 के नियम 3 के अनुसार (क) स्टाम्प की बिक्री हेतु निजी व्यक्तियों को नयी अनुज्ञप्तियाँ नहीं दी जाएगी। (ख) किसी अनुज्ञप्ति प्राप्त स्टाम्प बिक्रेताओं की मृत्यु/बिमारी की दशा में अनुकम्पा के आधार पर नयी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति का हस्तांतरण अनुमान्य नहीं होगा। (ग) यदि आवश्यक हो विशेष परिस्थिति में जिला के क्षेत्राधिकार के अधीन	जिसके पास स्टाम्प अनुज्ञप्ति प्राप्त हो।	सहायक निबंधन महानिरीक्षक

		समाहर्ता अनुज्ञप्ति प्राप्त स्टाम्प बिक्रेता के कार्य स्थल को परिवर्तित कर सकेंगें, (घ) डाक पाल के स्थान पर BISCORE/SCORE को COURT FEE बिक्री हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत की जाती है	इसके अतिरिक्त स्टाम्प बिक्री की नई अनुज्ञप्ति किसी अन्य को देने का प्रावधान नहीं है		
12	मुद्रांक रिफंड से संबंधित मामले	वापसी हेतु आवेदन की प्रक्रिया (1) बैंक चालन से जमा स्टाम्प शुल्क की राशि जिसका उपयोग जमाकर्ता अथवा पक्षकारों के द्वारा नहीं किया जा सका हो की मूल्य वापसी के लिए इस नियमावली में विहित प्रपत्र-क में तीन प्रतियों में समाहत्ता जिनके क्षेत्राधिकार में स्थित बैंक में राशि की गयी हो, के समक्ष आवेदन दिया जाएगा । (2)जमाकर्ता द्वारा आवेदन के साथ बैंक चालान की पठनीय स्व-अभिप्रमाणित तीन प्रतियाँ संलग्न की जाएगी । (3) उप नियम (1) एवं (2) के अधीन स्टाम्प शुल्क जमा किए जाने की तिथि से छः माह के भीतर समाहत्ता के समक्ष मूल्य वापसी के लिए आवेदन किए जाएगा । (4) छः माह की समाप्ति के बाद बैंक में राशि जमा किए जाने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर अपने क्षेत्राधिकार के प्रमण्डलीय आयुक्त के समक्ष आवेदन दिया जाएगा । (5) राशि जमा किए जाने की तिथि से एक वर्ष के बाद किसी स्थिति में वापसी के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा । परन्तु यह कि इस नियमावली के अधिसूचित होने के पूर्व जमा की गयी राशि की वापसी के लिए समाहर्ता के समक्ष इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से छः माह के भीतर आवेदन दिए जा सकेंगे । इस नियमावली के प्रकशन की तिथि के छः माह बाद नियमावली के प्रकाशन के पूर्व जमा की गयी राशि के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाऐंगे । बिहार निबंधन नियमावली 2008 के नियम 44 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निबंधन शुल्क वापसी भी बिहार स्टाम्प (बैंक चालान से जमा गैर न्यायिक स्टाम्प की वापसी) नियमावली 2008 के प्रावधान एवं प्रक्रिया के अनुसार होगी	उक्त नियमावली के नियम-2 (5) में स्पष्ट है कि राशि जमा किए जाने की तिथि से एक वर्ष के बाद किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी		जमाकर्ता अथवा पक्षकारों को	सहायक निबंधन महानिरीक्षक / प्रमण्डलीय आयुक्त
13	निबंधन शुल्क वापसी	वापसी हेतु आवेदन की प्रक्रिया (1) बैंक चालन से जमा स्टाम्प शुल्क की राशि जिसका उपयोग जमाकर्ता अथवा पक्षकारों के द्वारा नहीं किया जा सका हो की मूल्य वापसी के लिए इस	जमाकर्ता अथवा पक्षकारों को	सहायक निबंधन महानिरीक्षक / प्रमण्डलीय आयुक्त

		नियमावली में विहित प्रपत्र-क में तीन प्रतियों में समाहत्ता जिनके क्षेत्राधिकार में स्थित बैंक में राशि की गयी हो, के समक्ष आवेदन दिया जाएगा । (2)जमाकर्ता द्वारा आवेदन के साथ बैंक चालान की पठनीय स्व-अभिप्रमाणित तीन प्रतियाँ संलग्न की जाएगी । (3) उप नियम (1) एवं (2) के अधीन स्टाम्प शुल्क जमा किए जाने की तिथि से छः माह के भीतर समाहत्ता के समक्ष मूल्य वापसी के लिए आवेदन किए जाएगा । (4) छः माह की समाप्ति के बाद बैंक में राशि जमा किए जाने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर अपने क्षेत्राधिकार के प्रमण्डलीय आयुक्त के समक्ष आवेदन दिया जाएगा । (5) राशि जमा किए जाने की तिथि से एक वर्ष के बाद किसी स्थिति में वापसी के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा । परन्तु यह कि इस नियमावली के अधिसूचित होने के पूर्व जमा की गयी राशि की वापसी के लिए समाहर्ता के समक्ष इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से छः माह के भीतर आवेदन दिए जा सकेंगे । इस नियमावली के प्रकशन की तिथि के छः माह बाद नियमावली के प्रकाशन के पूर्व जमा की गयी राशि के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाऐंगे । बिहार निबंधन नियमावली 2008 के नियम 44 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निबंधन शुल्क वापसी भी बिहार स्टाम्प (बैंक चालान से जमा गैर न्यायिक स्टाम्प की वापसी) नियमावली 2008 के प्रावधान एवं प्रक्रिया के अनुसार होगी | उक्त नियमावली के नियम-2 (5) में स्पष्ट है कि राशि जमा किए जाने की तिथि से एक वर्ष के बाद किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी |		